मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान

ब इजलास श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

करनैलसिंह बनाम् दर्शनसिंह

दावा बाबत्– 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं.–45 / 2025

जीसीएमएस नं.–**2025 / 82**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामा चक 32 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–50 पत्थर नं.–346 / 441 का किला नं.–3, 8, 13 के मध्य 2–2 बिस्वा रास्ता आपसी सहमति से छोड़ा गया है जो स्वीकृत किया जाता है रास्ता की ऐवज में वादी करनैलसिंह अपने हिस्सा भूमि किला नं.–3 में से 3 बिस्वा प्रतिवादी सं.–1 दर्शनसिंह को दे रहा है जो किला नं.–3 की भूमि 3 बिस्वा वादी करनैरलसिंह के हिस्सा से कम की जाकर प्रतिवादी सं.–1 दर्शनसिंह के नाम से दर्ज की जावे। मुताबिक राजीनामा निम्नलिखित प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाकर निर्णित किया जाता है–

क्र.सं.	नाम खातेदार	मु.नं. व प.नं.	किलानम्बर	रकबा कुल (है. में)	विशेष विवरण
1	**वादी करनैलसिंह**	M.N.50 P.N. 346/441	किला नं.–1 का 0.253, 2 का 0.253, 3 का 0.089 हैक्टेयर	0.595	करनैलसिंह ने रास्ता की एवज में अपने हिस्सा की किला नं.–3 में से 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. –1 दर्शनसिंह को दी है। जो करनैलसिंह के खाता से कम की जाकर दर्शनसिंह के खाते में शामिल की गई है।
2	**प्रतिवादी सं.–1 दर्शनसिंह**	M.N.50 P.N. 346/441	किला नं.–3 का 0.164, 4 का 0.253, 5 का 0.253 हैक्टेयर	0.670	

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है एवं वादी एवं प्रतिवादी सं.–1 के मध्य खाता विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी सं. तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:06 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री आज **दिनांक** 16/1/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़